न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 12 /अ-20(3)/2022-23

विषय:- गजराबहरा कोलयार्ड से सुलियरी तक सड़क मार्ग से प्रभावित हो रही 5.672 हे0 वन भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन भूमियों का वन विभाग को अंतरण।

आदेश

(आज दिनांक 20 जून, 2022 को पारित एवं घोषित)

यह प्रकरण आवेदक महाप्रबंधक, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बैढ़न जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 16/तक.वन/2021 दिनांक 4.1.2022 पर संस्थित किया गया है। जिसमें यह दर्शाया गया है कि ग्राम गजराबहरा कोलयार्ड से सुलियरी तक सड़क मार्ग निर्माण उनकी परियोजना द्वारा किया जाना है, जिसमें 5.672 हेक्टर वन भूमि प्रभावित होगी। उक्त वन भूमि के डायवर्सन हेतु नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन निर्माण ऐजेंसी द्वारा वन विभाग को प्रस्तुत किया गया है। प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराई जावे।

2- प्रकरण पंजीकृत किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी को अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के संवंध में लेख किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा जांच उपरांत ग्राम रमपुरवा तहसील चितरंगी स्थित वन खण्ड से लगी हुई नीचे दी गई तालिका में वर्णित अनुसार कुल 5.672 हेक्टर राजस्व भूमियों का चयन किया जाकर नजूल निवर्तन निर्देश, 2020 के तहत कार्यवाही की जाकर अतंरण का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसमें नीचे दी गई तालिका अनुसार भूमियों को वन विभाग को अंतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

तालिका

तहसील	ग्राम	प्रस्तावित खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर)	अंतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
चितरंगी	रमपुरवा	778	2.630	1.000
		779	2.020	1.672
		925	3.060	1.000
		1088	2.500	1.000
		1089	2.020	1.000
		योग	**12.230**	**5.672**

3- प्रकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमियॉ म0प्र0 शासन राजस्व विभाग की नजूल भूमियॉ हैं। प्रस्तावित भूमियों का स्थल निरीक्षण वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है। उक्त भूमियॉ वनखण्ड से लगी हुई भूमियॉ हैं जो विहित मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य मे वनीकरण हेतु उपयुक्त हैं। प्रस्तावित भूमियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है। वृक्षारोपण योग्य हैं। चूंकि ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जा रही रोड में प्रभावित हो रही

क्रमश:....

वन भूमियॉं का वन संरक्षण अधिनियम, 1080 के तहत गैर वन प्रयोजन के निमित्त व्यपवर्तन की कार्यवाही प्रचलित है। व्यपवर्तन की अनुमति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अन्य भूमियॉं उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में ही हो सकेगी। अतएव प्रस्तुत प्रस्तावानुसार प्रस्तावित राजस्व भूमियों का अन्तरण वन विभाग को किया जाना प्रासॉंगिक है।

4- दिनांक 8.6.2022 को सम्पन्न जिला स्तरीय नजूल निवर्तन समिति की बैठक में उक्तानुसार प्रस्तावित भूमियों को वन विभाग को अंतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार उपरोक्त कण्डिका 2 में दी गई तालिका के कॉलम 3 में वर्णित खसरा नंबरानों भूमियों के कालम 5 में उल्लेखित क्षेत्रफल जो नक्शे में पृथक स्याही से प्रदर्शित हैं एवं इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 है, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म0प्र0 शासन, वन विभाग को अंतरित की जाती हैं। तहसीलदार, तहसील चितरंगी समस्त अभिलेखीय प्रविष्टियों में प्रासांगिक तब्दीलात दुरूस्त कराते हुए मौके पर वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी को अधिपत्य दिलावें एवं संशोधित अभिलेखों सहित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

21/6/22

(राजीव रंजन मीना)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक /अभिलेख पासबुक/22-23 सिंगरौली, दिनांक जून, 2022

प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी, जिला सिंगरौली
2. संचालक, संजय टाइगर रिजर्व, सीधी म0प्र0
3. उपखण्ड अधिकारी/नजूल अधिकारी , देवसर।
4. तहसीलदार, तहसील चितरंगी
5. महाप्रबंधक, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बैढ़न जिला सिंगरौली

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

Digitally signed by Rajeev Ranjan Meena
Date: 2022.06.21 12:02:56 +05:30
Reason: Order Copy
Location: MADHYA PRADESH